

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट

उपस्थित –आशुतोष कुमार सिंह, ----- न्यायिक सेवा उ.प्र.

सरकार बनाम राजेश कुमार उर्फ गट्टा

मुकदमा संख्या— 01 /2018

धारा—413, 414, भा.द.सं.

मु0अ0सं0 542 /2017,

थाना—जी0आर0पी0 मानिकपुर,क जिला—चित्रकूट।

सत्र सुपुर्दगी आदेश

मुकदमा अपराध सं0 542 /2017 थाना जी0आर0पी0 मानिकपुर, जनपद चित्रकूट के प्रकरण में अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ गट्टा पुत्र बउरा जोशी निवासी खण्डेह थाना मौदहा जिला—हमीरपुर को अंतर्गत धारा— 413, 414 भा.द.सं. के विचारण हेतु प्रेषित किया गया है। अभियुक्त जेरे हिरासत उपस्थित आया।

अभियुक्त को धारा—207 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी।

चूँकि अभियुक्त पर लगाया गया अभियोग माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय सुपुर्द किया जाता है।

चिट्ठी मय कैलेण्डर के तैयार कर पत्रावली अविलम्ब सत्र न्यायालय चित्रकूट प्रेषित की जाये। लोक अभियोजक को सत्र सुपुर्दगी की सूचना दी जाये। अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ गट्टा दिनांक 20.01.2018 को सत्र न्यायालय में उपस्थित हो।

दिनांक 02.01.2018

(आशुतोष कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट